रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 141/2020

नीतू कुमार नगाईच ..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

नवीन सिन्हा, न्यायाधीश

मृतक, उम्र 21 वर्ष, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में तृतीय वर्ष का छात्र था, याचिकाकर्ता का इकलौता पुत्र था। याचिकाकर्ता राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच से असंतुष्ट होकर अपने बेटे की हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए न्याय चाहती है। राज्य पुलिस कीजांच एक गतिरोध पर पहुंच गई थी, क्योंकि अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए, रिट याचिका में इस परमादेश का अनुरोध किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मंडोर पुलिस स्टेशन, जोधपुर शहर, राजस्थान में दर्ज प्राथमिकी संख्या 155/2018दिनांक 29.6.2018 की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित किया जाए।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील फर्नांडिस ने तर्क दिया है कि 13.08.2017 की शाम को मृतक अपने मित्रों (विश्वविद्यालय के ही छात्र)के साथ विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित

एक रेस्तरां में गया था। उसका शव अगली सुबह 09.00 बजे रेस्तरां के पीछे रेल पटरियों पर पाया गया। अवसाद के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, ऐसी झूठी कहानियों पर विश्वास करके विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसमें इसके बाद 'एफआईआर'के रूप में संदर्भित) दर्ज नहीं करवाई। याचिकाकर्ता और उसके पति द्वारा बहुत समझाए जाने के बाद लगभग दस महीने बाद 29.06.2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की लापरवाही और उदासीनता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि न तो घटनास्थल को सील किया गया और ना ही घटना के दिन उस अवधि के दौरान के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फुटप्रिंट्स, मोबाइल लोकेशन और व्हाट्सएप चैट सहित संबन्धित गवाहों की उचित जांच की गई। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सेवा प्रदाताओं ने घटनास्थलके टावरों के मोबाइल डंप डेटा प्रदान नहीं किए या उन्हें पुलिस द्वारा "डार्क जोन"में पाया गया।

3. रेलवे अधिकारियों ने संलग्नक पी-2 की पुष्टि की थी कि उस रात्रि के दौरान लगभग पांच रेलगाड़ियां उन पटरियों पर से गुजरी थी और अगली सुबह 09.00 बजे सुबह अचानक रेलवे ट्रैक पर शव मिलने तक किसी भी इंजन चालक ने किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं दी थी। इससे पहले एक गवाह जो सुबह साढ़े छह बजे शौच करने गया था, उसने कहा था कि उसने रेल्वे पटरी पर कोई शव नहीं देखा। मृतक के शरीर पर पाए गए घावों की प्रकृति और संख्या से यह स्पष्ट होता है कि यह एक हत्या थी, न कि कोई दुर्घटना या आत्महत्या। घटनास्थल के पास स्थित गोदाम के केयरटेकर का इस तुच्छ बहाने से परीक्षण नहीं किया गया है कि वह बधिर है और इसलिए विश्वसनीय नहीं है। यह कहना अनर्गल है कि बधिर होने के कारण केयरटेकर पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

4. मृतक अकेला नहीं था बल्कि अपने मित्रों के साथ था। आश्चर्य की बात है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि किस तरह और किन परिस्थितियों में उस

पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक हॉस्टल वापस लौट आया था। प्रवेश रजिस्टर में उसके आद्याक्षर अंकित थे जो परिसर में उसकी वापसी का संकेत देते हैं, फिर भी उसके एक मित्र के स्पष्टीकरण ने मृतक की हॉस्टल वापसी को झुठला दिया है कि उसने गलती से मृतक के स्थान पर प्रविष्टि कर दी थी। निश्चित रूप से यह आगे की जांच का विषय था। यदि मृतक बाद में रात 10:30 बजे छात्रावास परिसर से अकेले कहीं गया था, तो गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में उसके विजुअल होने चाहिए थे। पुलिस ने घटना के समय आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध मोबाइल लोकेशन की जांच करने का भी प्रयास नहीं किया है।

5. याचिकाकर्ता के पति ने पुलिस द्वारा जांच करने में विफल रहने के कारण, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ था कि पुलिस द्वारा किसी को बचाने के प्रयास किए जा रहे थे, असंतुष्ट महसूस करते हुए एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1411/2019दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने 24.02.2020 को जांच अधिकारी को संबंधित न्यायालय में जांच के परिणाम दर्ज करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया और याचिकाकर्ता को इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। जब फिर से कुछ भी नहीं हुआ और जांच में कोई प्रगति नहीं हुई, तब याचिकाकर्ता ने 20 मई, 2020 को त्वरित रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने 08.07.2020 को निर्देश दिया कि जांच को दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाये और अंतिम रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की जाए। इसके बाद जांच अधिकारी ने जल्दबाजी में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जो पूरी तरह से असंतोषजनक है और जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की प्रकृति के संबंध में वांछित जवाबों से कहीं अधिक सवाल उठाती है। श्री फर्नांडिस ने यह प्रार्थना की कि क्लोजर रिपोर्ट की अनुमति न दी जाए, बल्कि इसे रद्द कर दिया जाए और अपराध तथा अपराधी की गुत्थी सुलझाने के लिए

नए सिरे से जांच का आदेश दिया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिये10.07.2020 और 11.08.2020 को पुलिस महानिदेशक (अपराध) को पत्र लिखकर जांच में कई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनकी अभी तक जांच की जानी बाकी है और क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

6. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियां तुरंत आरंभ की गई थीं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गठित विशेष जांच दल ने बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की है। जांच में कोई कमी नहीं रखी गई है। सभी संभावनाओं की जांच की गई है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया गया है। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका। इस न्यायालय के लिए आगे या नए सिरे से जांच का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था। क्लोजर रिपोर्ट को संबंधित अदालत के समक्ष दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है और कानून अपना काम कर सकता है।

7. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और दिनांक 08.07.2020 के आदेश के अनुसरण में दायर 03.09.2020 की क्लोजर रिपोर्ट का भी बहुत सावधानी से अवलोकन किया है। क्लोजर रिपोर्ट में इसे एक हत्या के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसका निष्कर्ष यह निकला है कि अपराधी कौन थे? इसका कोई सुराग नहीं मिला है।

8. कथित तौर पर मृतक 13.08.2017 की शाम को लगभग 07.40 बजे अपने कई दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चला गया था, अगली सुबह लगभग 9:00 बजे लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पीछे से गुजरने वाली रेल पटरी उसका शव मिला। शव समकोण पर घुमावदार पटरी पर पड़ा था।

मृतक के शरीर पर नौ बहुत गंभीर चोटें थीं,जो मृत्यु से पहले की थी। घटना स्थल पर कोई खून नहीं था, लेकिन उसके कपड़ों पर खून लगा था। घटना स्थल पर मृतक की केवल एक चप्पल पाई गई। प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष और हमारे समक्ष 03.07.2020 को दायर जवाबी शपथ पत्र में भी तर्क दिया था कि मौत आकस्मिक दुर्घटना के कारण हुई थी। दिनांक 03.09.2020 की क्लोजर रिपोर्ट के निष्कर्ष में ट्रेन से टकराने से दुर्घटनावश मौत होने की संभावना को खारिज करके इस बात को स्वीकार किया गया है कि यह एक हत्या थी जिसमे कोई सुराग नहीं मिला है। निश्चित रूप से मृतक पर हमला रेलवे ट्रैक पर नहीं बल्कि कहीं और किया गया था। चूंकि एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसे स्वीकार नहीं करने के लिए हमें राजी किया जा रहा है, इसलिए हम वर्तमान आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, क्लोजर रिपोर्ट में प्रकट किए गए अंतर्निहित अंतर्विरोधों और जांच की अनिर्णायक प्रकृति के विस्तृत विश्लेषण से उद्देश्यपूर्ण रूप से परहेज करेंगे। हम यह पाते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस द्वारा की गई जांच की दोषपूर्ण प्रकृति और तरीके के संबंध में दी गई दलीलों में सच्चाई हैं, जिसके कारण क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई है।

9. सामान्यतः जब कोई अन्वेषण समाप्त हो जाता है और संहिता की धारा 173 (2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है तो संहिता की धारा173 (8) के अधीन ही आगे के अन्वेषन का आदेश दिया जा सकता है। किंतु जहां संवैधानिक न्यायालय असंतुष्ट है कि अन्वेषण उचित और वस्तुनिष्ठ रीति से नहीं किया गया है, जैसा कि **कश्मीरी देवी बनाम दिल्ली प्रशासन**(1988) पूरक एस. सी. सी. 482 में अवलोकन किया गया है, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी स्वतंत्र अभिकरण की सहायता से नए सिरे से जांच पर विचार किया जा सकता है जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। इस शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है

कि इस प्रकार की जांच किसी व्यक्ति को कानून से बचाने में मदद करने के लिए की गई है। ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में,न्यायालयन्याय प्रदान करने के लिए नए सिरे से जांच के आदेश दे सकता है जैसा कि **बाबूभाई (उपर्युक्त)बनाम गुजरात राज्य**(2010) 12 एससीसी 254 के प्रकरण में कहा गया है। निष्पक्ष जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए संवैधानिक अधिकार का एक हिस्सा है, जो निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है, जिसके बिना विचारण स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष नहीं होगा। बाबूभाई (उपर्युक्त) में इस संदर्भ में पैरा 45 में की गई टिप्पणियों को प्रासंगिक माना गया है जो इस प्रकार है:-

> “45. न केवल निष्पक्ष सुनवाई बल्कि निष्पक्ष जांच भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इसलिए जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए क्योंकि यह कानून की न्यूनतम आवश्यकता है। जांच एजेंसी को दागी और पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां न्यायालय के जांच में हस्तक्षेप न करने से अंततः न्याय विफलहोता है, वहां न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी स्थिति में,यह न्यायसंगत हो सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनी गई स्वतंत्र एजेंसी नए सिरे से जांच करे।"

10. **भारती तमांग बनाम भारत संघ**, (2013) 15 एस. सी. सी. 578 के प्रकरण में आरोप-पत्रऔर पूरक आरोप पत्र को रद्द करने के साथ एक परमादेश मांगा गया था कि षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए त्रुटिहीन साख रखने वाले सक्षम व्यक्तियों के विशेष जांच दल द्वारा नए सिरे से जांच कराई जाए। इस

न्यायालय ने **जहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात सरकार**प्रकरण के निम्नलिखित उद्धरण पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:-

> “33. न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी व्यक्तियों को दंडित किया जाए और राज्य की शक्ति या प्राधिकार का उपयोग उनको या उनके परिचितों को बचाने के लिए न किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग न करें जो संविधान के तहत केवल जनता और समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए रखी जानी है। यदि जांच या अभियोजन में कमी दिखाई देती है या वास्तविकता को छिपाने या स्पष्ट कमियों को छुपाने की कोशिश करने वाले पर्दे को हटाकर इसे महसूस किया जा सकता है, तो न्यायालयों को कानून के ढांचे के भीतर मजबूती से इससे निपटना होगा। यह सुनिश्चित करना अभियोजक का उतना ही कर्तव्य है जितना कि न्यायालय का, कि पूर्ण और तात्विक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया जाए ताकि वे न्याय प्रदान करने में विफल न हो।"
>
> XXX
>
> "37. बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य, पैरा 40 में दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जांच की योजना विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा173 (8) आगे की जांच का प्रावधान करती है, न कि पुनः जांच का, लेकिन पैरा 42 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः" (एससीसी पृष्ठ 272)

"42. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आपवादिक परिस्थितियों में, न्याय की विफलता को रोकने के लिए, यदि न्यायालय इसे आवश्यक समझे, तोउस प्रकरण में, जिसमें असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हों, नए सिरे से जांच के आदेश दे सकता है।"

38. इसलिए, आवश्यकता के समय जहां इस न्यायालय को लगता है कि एक असाधारण या आपवादिक परिस्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे असाधारण मामलों में पुनर्जांच की आवश्यकता अनिवार्य होगी, वहाँ न्यायालयद्वारा नए सिरे से जांच का आदेश भी दिया जा सकता है।

41.3. यदि अन्वेषण या अभियोजन में कमी प्रत्यक्ष है या वास्तविकता को छिपाने की कोशिश करने वाले या स्पष्ट कमी को ढकने वाले पर्दे को हटाकर इसे महसूस किया जा सकता है, तो न्यायालयों को कानून के ढांचे के भीतर उससे निपटना होगा।

XXX

41.5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन बिना किसी कमी के चलाया जाए, उपयुक्त मामलों में यह न्यायालय विशेष जांच दल के गठन का आदेश दे सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों को वास्तविक अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और अभियोजन के प्रभावी संचालन के लिए ऐसी विशेष

रूप से गठित जांच टीम को सभी आवश्यक सहायता देने के लिए उचित निर्देश भी दे सकता है।

XXX

41.7. कुछ प्रकरणों में, चाहे आरोप पत्र दायर कर दिया गया हो, यह न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय भी इन मामलों की जांच के लिए इन्हें सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है।

41.8. अपवादात्मक परिस्थितियों में न्यायालयन्याय की विफलता को रोकने के लिए और यदि न्यायालय को आवश्यक लगे तो नए सिरे से जांच करने का निर्देश दे सकता है।"

11. संवैधानिक न्यायालय की शक्ति पुनर्जांच का निर्देश देने तक विस्तारित हो सकती है, इस पर **पूजा पाल बनाम भारत संघ,** (2016) 3 एससीसी 135 में फिर से ध्यान दिया गया था, जो इस प्रकार है:

"87. कोई भी दांडिक अपराध समाज के खिलाफ है, जो राज्य पर मानवाधिकारों के संरक्षक और कानून के रक्षक के रूप में जिम्मेदारी से और प्रतिबद्ध रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करने की एक भारी जिम्मेदारी डालता है, राज्य किसी भी चूक के लिए हमेशा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है। आगे अन्वेषण करने या पुनः अन्वेषण करने का निर्देश देने की संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति न्यायिक समीक्षा करने के लिए अपनी अधिकार क्षेत्र का एक गतिशील घटक है,

जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और हालांकि उचित सावधानी के साथ इसका प्रयोग किया जाना है और स्व-अधिरोपित संयम के साथ इसे अवगत किया जाना है, फिर भी इसकी प्रचुरता और अंतर्वस्तु को न तो किसी कानून द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है।

XXX

90. इस न्यायालय द्वारा रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस. सी. सी. 516 में दोहराया गया था कि पीड़ित को दांडिक विचारण के लिए एक गैर या पूर्ण अजनबी के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह माना गया कि समय बीतने के साथ आपराधिक न्यायशास्त्र ने पीड़ित विज्ञान पर जोर दिया है, जो मूल रूप से सामाजिक संदर्भ में न्याय करने पर अपराधी के साथ-साथ पीड़ित के दृष्टिकोण से अभियोजन की धारणा है।

XXX

96. दांडिक अन्वेषण का घोषित प्रयोजन और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आगमन के साथ इसकी प्रभावी संभावनाओं को पॉल बी. वेस्टन और रेनेथ एम. वेल्स द्वारा लिखित 'आपराधिक अन्वेषण- मूल परिप्रेक्ष्य'में आपराधिक अन्वेषण के इतिहास से संबंधित प्रारंभिक अध्याय में स्पष्ट रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

"आपराधिक अन्वेषणअपराध या अकृत परिस्थितियों में और इससे जुड़ी मानसिक अवस्था की परिस्थितियों के

पुनर्निर्माण में उपयोगी व्यक्तियों और वस्तुओंकी विधिवत खोज है। यह ज्ञात से अज्ञात, समय में पीछे की ओर अन्वेषण कर रहा है, और जहां तक संभव हो इसका लक्ष्य किसी भी पोस्ट फैक्टम अन्वेषण में सत्य का पता लगाना है। सफल अन्वेषण किसी घटना के वास्तविक तथ्यों की कानूनी रूप से खोज करने में निष्ठा, सटीकता और ईमानदारी पर आधारित होता है और जांच के परिणामों की रिपोर्ट करने में एक समान विश्वसनीयता, सटीकता और ईमानदारी पर आधारित होता है। आधुनिक जांचकर्ता वे लोग होते हैं जो सत्य पर अड़े रहते हैं और किसी घटना के समय और स्थान तथा साक्ष्य के पहलुओं के बारे में आत्यन्तिक रूप स्पष्ट होते हैं। वे अपनी पूरी जांच के दौरान इस बात को समझते हुए काम करते हैं कि एक मामूली विरोधाभास या त्रुटि भी उनकी जांच में विश्वास को नष्ट कर सकती है।

पारंपरिक आपराधिक जांच तकनीकों के साथ विज्ञान का जुड़ना आपराधिक जांच में दक्षता के नए क्षितिज प्रदान करता है। जांच में नए दृष्टिकोण मुखबिरों और हिरासत में पूछताछ पर निर्भरता को कम करते हैं और भौतिक साक्ष्य के लिए अपराध स्थल की एक कुशल स्कैनिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अधिक से अधिक गवाहों की तलाश करते हैं। मूक साक्ष्य अपनी खुद की कहानी न्यायालय में कहता है, या तो अपने स्वयं के प्रदर्शन से या इसके वैज्ञानिक परीक्षण में शामिल एक विशेषज्ञ गवाह की गवाही के माध्यम से। इस तरह के सबूत अपराध की

सभी परिस्थितियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के विस्तार में पुलिस द्वारा पाए गए और साक्षात्कार किए गए गवाहों के साक्ष्य के बदले में या उनके समर्थन में काम कर सकते हैं। अपराधों को खुलासा करने में बढ़ती निश्चितता संभव है और यह अपराध को रोकने में योगदान देगी- यह निश्चितता कि एक अपराधी का पता लगाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा।"

12. **धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य**, (2016) 4 एस. सी. सी. 160 केप्रकरण में, यह देखा गया कि नए सिरे से अन्वेषण करने का आदेश देने की संवैधानिक न्यायालय की शक्ति का प्रयोग विचारण आरंभ होने के बाद भी किया जा सकता है और कुछ गवाहों का परीक्षण इसमें बाधा नहीं बन सकता। जैसा कि देखा गया है:

"25. नए सिरे से जांच करने का आदेश देने की शक्ति संवैधानिक न्यायालयों में निहित है, विचारणका पहले से ही आरंभ हो जाना और कुछ गवाहों से पूछताछ कर लिया जाना उक्त संवैधानिक शक्ति के उपयोग के लिए एक आत्यन्तिक बाधा नहीं हो सकती है जिसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच सुनिश्चित करना है। सत्य की रक्षा करनान्यायालय का कर्तव्य है और सच्चाई का अर्थ है छल की अनुपस्थिति, धोखाधड़ी की अनुपस्थिति और एक आपराधिक जांच में एक वास्तविक और निष्पक्ष जांच, न कि एक ऐसी जांच जो दिखावटी हो। यह स्वीकार्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निष्पक्ष और सच्ची जांच आवश्यक है।....."

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हम पाते हैं कि यह घटना 13.08.2017 और 14.08.2017 की दरम्यानी रात में हुई थी। सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच की कार्रवाई 14.08.2017 को दर्ज की गई थी, लेकिन यह अधूरी रही और अब क्लोजर रिपोर्ट को देखते हुए यह सुपुर्द किए जाने लायक है। शुरू में,मृतक की मौत को ट्रेन से टकराने से दुर्घटना या अवसाद के कारण आत्महत्या के रूप में घोषित करने की कोशिश की गई थी। आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी 29.06.2018 को बहुत देर से दर्ज की गई थी, वह भी याचिकाकर्ता और उसके पति के बार-बार उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के बाद उनके आग्रह पर अनिच्छा से दर्ज की गई थी। इसके बाद भी इस अदालत के समक्ष हाल ही में 03.07.2020 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने तक जांच रुकी रही, जिसमें प्रत्यार्थियों ने जोर देकर कहा कि मौत आकस्मिक थी और चोटों की प्रकृति एक हत्या का कारण नहीं बन सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता के पति ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जहां 20.07.2019 तक प्रत्यर्थी ने जोर देकर कहा था कि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी। दुर्भाग्य से, जांच के लंबे समय से लंबित होने पर गौर करने के बावजूद उच्च न्यायालय ने एक भ्रामक दृष्टिकोण अपनाया कि याचिकाकर्ता ने किसी के खिलाफ संदेह व्यक्त नहीं किया था और न ही उसने मामले की जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया। इस तरह से जांच लगभग तीन वर्षों तक अनिर्णीत रही और जांच एजेंसी ने बिना किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे जांच को पूरा करने से बचते हुए इसे दुर्घटनावश हुई मौत करार दिया। जब हमने 08.07.2020 को आदेश दिया कि जांच को दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाए और अंतिम रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश की जाए, तभी अचानक हमारे सामने एक बहुत लंबी जांच क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि हालांकि यह हत्या थी, लेकिन कोई सुराग नहीं

मिला है। इसलिए, हमारे विचार में क्लोजर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में की गईकार्यवाही है, जिसमें जांच की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ वांछित है, क्योंकि यदि एक विस्तृत जांच पहले ही की जा चुकी थी, जैसा कि कहा जा रहा है,तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जांच एजेंसी द्वारा घटनाओं के सामान्य क्रम में अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जा सकती थी और ऐसा करने के लिए इस न्यायालय के आदेश की आवश्यकता थी। इसलिए पूरी जांच और क्लोजर रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं है। इसलिए न्याय के हित में एक नए सिरे से जांच की आवश्यकता है, ताकि समाज का विश्वास कानून में बनाए रखा जा सके।

14. अतः, हम क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करते हैं और राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में जांचकर्ताओं के एक नए दल जिसमे आधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग से अच्छी तरह से परिचित कुशल कार्मिक शामिल हों, को नए सिरे से जांच का निर्देश देते हैं। कोई भी अधिकारी जो क्लोजर रिपोर्ट की जांच करने वाली टीम का हिस्सा था, नए सिरे से जांच करने वाली टीम का हिस्सा नहीं होगा। काफी समय बीत चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब इस मामले में तेजी लाई जानी चाहिए। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इस तरह की नई जांच आज से अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाये और पुलिस रिपोर्ट संबंधित अदालत के समक्ष दाखिल की जाये जिसके बाद प्रकरण को कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

15. रिट याचिका को अनुमति प्रदान की जाती है।

न्यायाधीश [आर. एफ. नरीमन]

न्यायाधीश [नवीन सिन्हा]

न्यायाधीश [इंदिरा बनर्जी]

नई दिल्ली

16 सितंबर, 2020

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।